>

Title: Need to take measures to check human trafficking particularly among children and girls in the country.

श्री नारनभाई काछडिया (अमरेली): महोदय, हमारे देश में महिलाओं एवं बच्चों के यौन शोÂषण की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। महिलाओं को दुलहन के तौर पर, घरेलू नौकरानियों के तौर पर अथवा यौन कार्य हेतु बेचा जाता है, जो हमारे समाज और देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ, बच्चों को भी ऐसे कार्य में जबरन धकेला जा रहा है, जिसके बारे में हमें समय-समय पर मीडिया से पता चलता है। महोदय, अधिकांश महिलाओं एवं लड़कियों के साथ उनकी गरीबी के कारण ऐसा होता है अथवा उनके साथ हुई प्राकृतिक आपदा में सर्वस्व तबाह हो जाने के कारण ऐसा होता है, जैसे हाल ही में उत्तराखण्ड में लोकप्रिय तीर्थस्थल में हुई तबाही के कारण सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग लापता हो गए और उनका सब कुछ तबाह हो गया, उनकी आजीविका के साधन तक समाप्त हो गए। अधिकांश रूप से युवा लड़कियों की तस्करी उनकी गरीबी के कारण ही होती है। दूसरे राज्यों में बूढ़े लोगों की शादी के बहाने हो या उनके द्वारा दहेज न मांगने के कारण हो, ऐसे में संभावना अधिक रहती है कि जो लोग गरीबी के कारण मजबूर हैं अथवा सब कुछ खो देने के बाद हताश हैं। ऐसी युवा लड़कियों एवं महिलाओं की तस्करी होने की संभावना बढ़ जाती है। पूर्वी एशिया के बाद भारत में मानव तस्करी का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह व्यापार अधिकतर भूमिगत रूप से आयोजित किया जाता है, इस कारण सही आंकड़े मिलना कठिन हो जाता है। केवल भारत में ही हजारों की संख्या में नेपाल और बांग्लादेश से युवा लड़कियों की तस्करी, जबरन शादी के लिए भेजना, यौन कार्य में जबरन धकेलना, नौकरी के रूप में बंधुआ तरीके से काम करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युवा किशोरियों को या उन महिलाओं को विदेश जाने का लालच देकर उनकी कमजोर हालत की मजबूरी का अनैतिक लाभ उठाया जाता है। अधिक से अधिक वेतन का छल और झूठे वादों के माध्यम से उन्हें लुभाकर यौन कार्य के लिए मजबूर किया जाता है।

महोदय, अंतर्राÂष्ट्रीय कानून के तहत सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि मानव तस्करी को रोकने और इससे पीड़ित लोगों को सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास का भी प्रबंध करे और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अवैध व्यापार की रोकथाम करे।

महोदय, मानव तस्करी की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि इन तत्वों को जनता के सामने प्रकाश में लाया जाए और उनके कारनामे जनता के बीच प्रकाशित किए जाएं जिससे लोग इस विषय में जागरूक हो सकें और ऐसे तत्वों को समाज में पनपने का अवसर प्राप्त न हो सके।